न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या–300 / 2026

1. सन्नी कुमार पिता मुनेश गिरि।
साकिन–श्रीरामपुर, थाना–बिहटा, जिला–पटना।

––––– अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री विनय कुमार, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

24.03.2026 बिहटा थाना कांड संख्या–122 / 2026 धारा–309(4)बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस नियमित जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक–06.02.2026 से काराधीन है। अभियुक्त को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–02.02.2026 को दोपहर करीब 12.00 बजे मैं अपने जीजा रहिश कुमार के साथ मछली खरीदने बिहटा बाजार आये हुये थे, वहीं पर दो अज्ञात व्यक्ति ने मेरे साथ छिन–छोड़ करने लगा, जिसका मैं बिरोध किया तो दोनों ने मिलकर मुझे मारपीट कर जख्मी कर दिया और दोनों का मोबाईल छिन लिया व दोनों अज्ञात व्यक्ति मोबाईल लेकर भाग गया। वेलोग स्थानीय भाषा बोल रहे थे। मैं देखकर दोनों को पहचान लूँगा। अपराधी को पता लगाने का प्रयास किया, जिसके कारण विलम्ब से आवेदन दिया हूँ। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदक दिनांक–06.02.2026 से काराधीन है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त को इस शर्त पर जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि इसतरह का अपराध भविष्य में नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर मो0 10,000 / –रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।